कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)

पता :– राजीव गाँधी भवन, दशहरा मैदान, कोटा ई–मेल –nnnorth.kota@rajasthan.gov.in

क्रमांक : ननिकोउ./राजस्व/श्री अ.र.यो./2024/1791-1806 दिनांक :– 8/10/24

–:: अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expressions of Interest-EOI) का आमंत्रण ::–

श्री अन्नपूर्णा रसोईयों का विवरण				
क्र0सं0	जिला	श्री अन्नपूर्णा ररोई का स्थान व नम्बर	रसोई की संख्या	नगरीय निकाय का नाम जहां रसोई स्थित है।
1	कोटा	सोगरिया पूर्व ग्राम पंचायत भवन (1225)	1	नगर निगम कोटा उत्तर
2		फायर स्टेशन सब्जीमण्डी (1226)	1	
3		मस्जिद वाली गली रंगपुर पुलिया के नीचे (1227)	1	
4		नान्ता पत्थर मंडी (1228)	1	

निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान जयपुर की गाईड लाईन कमांक एफ15 (ग)/पीडी/डीएलबी/ईरयो/20/पार्ट –1/170 दिनांक 04/08/2020 के अनुसार श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अन्तर्गत नगर निगम कोटा उत्तर की पूर्व से संचालित 04 रसोईयो की अनुबंध अवधि समाप्त होने से पुनः आवंटन किया जाना है। उक्त 04 रसोईयों की **EOI** जारी कर निम्नानुसार रसोईयो हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संचा मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवाभाव के आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यवासायिक हित के स्थान पर सेवाभाव के आधार पर कार्य करने के इच्छुक प्रतिष्ठित गैरशासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षैत्र स्तरीय संघ/नगरीय संघ को रसोईयों के संचालन हेतु नगर निगम कोटा उत्तर में सूचीबद्व (Empanel) एवं चयन करने हेतु दिनांक 09/10/24 से 16/10/24 तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।

नगरीय निकायवार रसोईयों की संख्या का विस्तृत विवरण EOI में उपलब्ध है। प्रत्येक ररोई हेतु आवेदन पत्र अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक नगर निगम कोटा उत्तर में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) तथा योजना के दिशा–निर्देश (गाईडलाईन) नगर निगम कोटा उत्तर कार्यालय तथा विभाग की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त/डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)

–:: श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ::–

(Shri Annapurna Rasoi Yojana)

के तहत् स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/ स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षैत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ को सूचीबद्व (Empanel) एवं चयन करने हेतु

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expressions of Interest-EOI)" का आमंत्रण।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति को सम्बंधित जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय (नगर निगम कोटा उत्तर) में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि –

दिनांक .....16/10/24..... को सायं 4.00 बजे तक

आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर(राज0)

क्रमांक : ननिकोउ./राजस्व/श्री अ.र.यो./2024/1791-1806 दिनांक :- 8/10/24

—:: श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना अन्तर्गत स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु राज्य की समी नगरीय निकायों में कार्यकारी संस्थाओं को सूचीबद्व (Empanel) व चयन करने हेतु ::—

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expressions of Interest-EOI)" का आमंत्रण।

1. **परिचय** ::— माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में घोषणा की गई है कि शहरी क्षैत्रों एवं बडे कस्बों में जरूरतमन्दो, मजदुरो, विभिन्न कार्यो के लिए बाहर से आये व्यक्तियों को सस्ती दरो पर गुणवत्ता पूर्ण खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से **श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत् जरूरतमन्द लोगो को दो समय का शुद्व पौष्टिक भोजन रियासती दर से उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को रू0 8/— प्रति थाली की दर पर दोपहर एवं 8 रूपये प्रति थाली की दर से रात्रि कालीन भोजन उपलब्ध कराया जाना है।

2. **मुख्य नियम व शर्ते** ::— संस्था के सूचीबद्व व चयन करने उनके कार्य व दायित्व तथा इसके लिए उनको भुगतान आदि से संबंधित मुख्य नियम/शर्ते निम्नानुसार है :—
   1. श्री अन्नपूर्णा रसोई के संचालन का मूल उद्वेश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवा आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यावसायिक हित को मूल आधार ना मानते हुए केवल सेवाभाव के आधार पर ही आवेदन किया जाना अपेक्षित है।
   2. इच्छुक आवेदक प्रत्येक रसोई हेतु पृथक—पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ठ "अ"** मे नगर निगम कोटा उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिसकी सूची **परिशिष्ठ — "ब"** पर संलग्न है।
   3. कोटा जिले की प्रत्येक नगर निकायों में रसोई योजना संचालन हेतु संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा। रसोई के संचालन हेतु प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वंय सेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षैत्र स्तरीय संघ/नगरीय स्तरीय संघ आदि से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
   4. चयनित संस्था का एमपैनलमेन्ट व चयन प्रथमतया 3 वर्ष तक के लिए किया जायेगा, जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकता है संस्था की परफोरमेन्स व कार्यव्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।
   5. संचालक संस्था का एमपैनलमेन्ट व चयन उसकी क्षमता, कार्यनुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर किया जायेगा।
   6. चयनित संचालक संस्था को किसी भी परिस्थिति में अन्य संस्था को Sub-Contract या Partnership में कार्य आवंटित करने का अधिकार नही होगा। ऐसी स्थिति में संचालक संस्था का चयन निरस्त किया जा सकेगा।
   7. चयनित संचालक संस्था द्वारा चयन के अधिकतम तीन दिवस में संबंधित नगर निकाय के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ठ "स" में रू0 500/— के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध (Agreement) अनिवार्य रूप से करना होगा, अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
   8. एक संस्था एक से अधिक नगरीय निकाय/रसोई हेतु आवेदन कर सकेगी।

9. रसोईयों के संचालन हेतु भुगतान जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय नगर निगम कोटा उत्तर हेतु न.नि.कोटा उत्तर द्वारा संचालक संस्था को दिए गए कार्यादेश में वर्णित दरों के अनुसार किया जायेगा।
10. चयनित संस्था को कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। संस्था को आवंटित कार्यादेश की समय की पालना नही करने की स्थिति में या किसी भी अन्य कारण से संस्था का चयन निरस्त होने या संस्था द्वारा कार्य छोडने पर एम्पेनलमेन्ट में से उससे कम वरीयता वाले संस्था को कार्य आवंटित किया जा सकेगा।

3. **प्रतिभूति (Security)** ::– आवेदन–पत्र के साथ प्रत्येक रसोई हेतु निम्नानुसार राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ::–
   1. नगर निगम कोटा उत्तर की रसोई हेतु प्रतिभूति राशि 15000/– रूपयें (डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर के पक्ष में), प्रोसेसिंग फीस 500/–रूपये (डिमाण्ड ड्राफ्ट MDRISL JAIPUR के पक्ष में) राशि का देय होना चाहिए। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर असफल आवेदकों (एम्पेनलमेन्ट हेतु चयन नही होने पर) को प्रतिभूति राशि वापस लौटा दी जायेगी तथा एम्पेनलमेन्ट में सम्मिलित संस्थाओ की यह राशि एम्पेनलमेन्ट/चयन अवधि समाप्त होने पर लौटायी जायेगी।

      यदि कोई संस्था राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि नही लेने का प्रस्ताव देती है (स्वयं के स्तर से वहन करती है) तो उससे प्रतिभूति नही ली जायेगी।

4. **अनिवार्य योग्यता (Eligiblity Criteria)** ::– आवेदन करने वाली संस्था को Empanel एवं चयन हेतु निम्नानुसार योग्यता होना आवश्यक है।
   1. आवेदन करने वाली संस्था का पंजीयन किसी भी एक राजकीय संस्था में निम्न अधिनियम के तहत् होना आवश्यक है यथा देवस्थान ट्रस्ट एक्ट–1882 में पंजीयन, कॉपरेटिव एक्ट–1958 में पंजीयन, कम्पनी एक्ट 2013 में पंजीयन, साझेदारी एक्ट 1932 में पंजीयन, भारतीय न्यास अधिनियम – 1882 में पंजीयन।
   2. संस्था को PAN NO. की प्रति संलग्न करनी होगी।
   3. संस्था को जीएसटी नं0 की प्रति संलग्न करनी होगी यदि जीएसटी में पंजीयन नही है तो कार्यदेश में वर्णित दर के अनुसार प्रति वर्ष की अनुमानित लागत के आधार पर जीएसटी प्रावधान लागू होने पर संस्था को नियमानुसार जीएसटी पंजीयन करवाना होगा।

5. **संस्था की चयन प्रक्रिया** ::– प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर निम्नानुसार क्रय में वरीयता देते हुए Empanel एवं चयन किया जाएगा –
   1. जिन संस्थाओं का स्वयं का भवन हो ओर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान नही लेकर, स्वयं के स्तर से योजना के मानदंडो के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दें।
   2. जो संस्था राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर योजना के मानदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दें।
   3. जिन संस्थाओं का स्वयं का/स्वपोषित किराये का भवन हो, जो पूर्व में ऐसा कार्य कर रही हो।
   4. प्रतिष्ठित स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय संस्थाओं के एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर अधिक अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
   5. ऐसी संस्था जो पूर्व में ही रसोई संचालित कर रही है, वे भी योजना से जुड सकती है उन्हे अपनी रसोई में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का लोगो प्रदर्शित करना होगा। साथ ही योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।

      उपरोक्त वरीयता में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति कार्यनुभव, कार्य क्षमता इत्यादि के आधार पर चयन हेतु जिला स्तरीय समिति अधिकृत होगी।

6. **चयन समिति** :– प्राप्त आवेदन पत्रों में से संचालक संस्था का चयन गाईडलाईन के बिन्दु क्रमांक 4. 2 के अनुसार गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा।

7. **विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली रसोई एवं संसाधन** ::–
   1. **स्थानः**– संबंधित नगर निकाय द्वारा रसोई हेतु स्थान, निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा। उपयुक्तता के आधार पर स्थान निर्धारण कर सरकारी भवनों आश्रय स्थल, अम्बेडकर भवन, सामुदायिक भवन, अनुपयोगी सरकारी भवनों, अस्पतालों, बस स्टेण्डों, चयनित संस्था के निजी भवनों आदि में संचालित की जायेगी। उक्त में से स्थान की अनुपलब्धता पर किराये के भवन में रसोई का संचालन किया जा सकेगा. जिसका भुगतान योजना के आवृति व्यय मद से किया जा सकेगा। यदि कोई संस्था रसोई संचालन हेतु अपने स्वयं का भवन अथवा सरस्था के द्वारा स्वपोषित किराये के भवन का प्रस्ताव देती है तो EOI में वर्णित वरीयता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
   2. **आधारभूत व्यय** :– प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित आधारभूत संसाधन नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे – (i) भवन की एकरूपता साज–सज्जा (ii) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (iii) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भट्टी, चिमनी, वाटर कूलर– आर.ओ. सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीप फीज, चपाती वार्मर, सब्जी वार्मर, मिक्सर ग्राइण्डर, आटा गूथने की मशीन (iv) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम (1) टेबल–कुसी एवं अन्य फीचर (अप) सैनिटाइजर एवं मास्क (vii) कार्मिकों की यूनिफार्म एवं जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। उपरोक्त संसाधनो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित संचालक संस्था की होगी।
   3. **आवर्ती व्यय** :– प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित संसाधन पर होने वाला आवृति व्यय नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा –(i) पेयजल, इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलों का भुगतान (ii) भवन के रंग रोगन, मरम्मत एवं साज–सज्जा का कार्य (iii) सैनिटाइजर एवं मास्क (iv) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं केटरिंग सामान का रिप्लेसमेन्ट (v) सरकारी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन किराया जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति की अनुशंषा पर रसोई के सुचारू संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।

8. **खाने की संख्या** – प्रति रसोई प्रतिदिन अधिकतम 200 थाली लंच एवं 200 थाली डिनर दिया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति की अनुशंषा पर भोजन की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। संस्था द्वारा लाभार्थी को बैठाकर भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।

9. **मैन्यू** :– योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी, चावल/मिलेट्स एवं अचार सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम गेहू चपाती, 100 ग्राम चावल/मिलेट्स एवं अचार दिया जाएगा।

10. सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8.30 बजे से मध्यान्ह 2.00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सायं 5.00 वजे से 9.00 वजे तक उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु जिला स्तरीय समिति अपने स्तर पर समय में परिवर्तन कर सकेगी। सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

11. जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति स्थानीय स्वादानुसार भोजन का मैन्यू निर्धारित करेगी। सप्ताह के प्रत्येक दिन मैन्यू भी स्थानीय स्वाद अनुसार समिति द्वारा निर्धारण किया जायेगा।

12. **लाभार्थी से ली जाने वाली राशि एवं देय अनुदान राशि**
   1. लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रू0 प्रति थाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8.00 रू0 प्रति थाली लिए जायेंगे।
   2. राज्य सरकार द्वारा दोपहर भोजन हेतु प्रति थाली 22 रू. एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रति थाली 22 रू. की राशि अनुदान के रूप में संबंधित संस्था को दी जाएगी।

3. यदि कोई संस्था अनुदान राशि नहीं लेने का प्रस्ताव देती है तो प्रस्ताव युक्तियुक्त पाये जाने की स्थिति में उस पर EOI में वर्णित वरीयता के अनुसार विचार किया जाएगा। इस संबंध में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

13. **दान व जनसहभागिता :–** इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती हैं। दान सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। जिला कलक्टर अपने स्तर पर क्षेत्र में स्थित औद्यौगिक व्यापारिक संस्थान से सीएसआर फण्ड से सहयोग हेतु प्रयास करेगें तथा इन संस्थानों से एक या अधिक श्री अन्नपूर्णा रसोई के संपूर्ण संचालन का जनसहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व दे सकते है। रसोई में विभिन्न दानदाताओं द्वारा अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, भोजन के लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस आशय का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर संबंधित संस्था द्वारा किया जा सकेगा कि आज का भोजन श्री ..... द्वारा ..... कारण से प्रायोजित है। प्रायोजक व्यक्ति द्वारा लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। भोजन प्रायोजित करने वाले व्यक्ति को उचित मान–सम्मान दिया जाएगा ताकि अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सके। रसोई संचालित करने वाली संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किसी से भी रसोई प्रयोजनार्थ दान/सहयोग नहीं लिया जायेगा। परन्तु ऐसी संस्थाये सीधे रूप से दान एवं जनसहयोग की राशि ले सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर अपने स्तर से योजना के मापदण्डों के अनुसार कार्य करेगी।

14. **भुगतान प्रक्रिया :–** योजना के दिशा–निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

15. **संस्था की भूमिका एवं दायित्व :–** जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति से चयनित संस्था रसोई के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। चयनित संस्था, जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगी। संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति, संबधित निकाय व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशों की अक्षरशः पालना करनी होगी। संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे।
    1. संस्था द्वारा लाभार्थियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बिठाकर उपलब्ध कराया जावेगा।
    2. संस्था द्वारा भोजन बनाने हेतु रसद व अन्य सामग्री यथा आटा, दाल, सब्जी, तेल मसाले इत्यादि स्वयं के खर्च पर क्रय किये जायेगें। नगर निगम कोटा, उत्तर द्वारा बिल प्राप्त होने पर केवल अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
    3. भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित समस्त कार्य तथा केन्द्र को साफ–सुथरा रखने के लिए आवश्यक कार्मिक एवं साधनों की व्यवस्था की जावेगी।
    4. संस्था द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित कार्य हेतु लगाये गये कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं आधारभूत, आवृत्ति संसाधनों के अतिरिक्त उपयोग में लिए जा रहे साधनों का क्रय भी स्वयं के स्तर पर किया जावेगा।
    5. भोजन व्यवस्था के लिए लगने वाले ईधन, गैस की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जावेगी।
    6. संस्था को जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति की सलाह से सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए स्थानीय स्वादानुसार मैन्यु तैयार करना होगा। संस्था द्वारा भोजन का मैन्यु, मूल्य एवं समय का विवरण रसोई के आस–पास सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
    7. रसद एवं अन्य सामग्री तथा रसोई पर हो रहे आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जायेगा, जो कम्प्यूटरीकृत होगा। यह समस्त जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी। जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग कमेटी संस्था को दिए गए अनुदान की जाँच कर सकेगी।
    8. लाभार्थियों से भोजन हेतु राशि नगद के अलावा ऑनलाईन यथा पेटीएम, फोनपे, इत्यादि के माध्यम से भी ली जा सकेगी।

9. लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर, नाम व मोबाईल न0 अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात् ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। भोजन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिया जायेगा।
10. लाभार्थी से दोपहर का भोजन 8 रूपये प्रति थाली एवं रात्रि का भोजन की निर्धारित सशि 8 रूपये प्रति थाली ली जावेगी।
11. संस्था द्वारा वितरित भोजन की संख्या के आधार पर अनुदान हेतु मासिक बिल संबंधित नगर निकाय को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। संस्था नगर निकाय से बिलों को प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय के आहरण वितरण अधिकारी को भिजवाने में सहयोग करेगा।
12. संस्था का यह दायित्व होगा कि कोई भी व्यक्ति जो रसोई पर नियत समय सीमा में भोजन के लिये आ रहा है, तो वह बिना भोजन के वापिस नही जायें।
13. प्रत्येक रसोई पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण एवं सैनिटाईजर आदि रखे जावेगें।
14. रसोई का संचालन नियमित रूप से करना होगा। अपरिहार्य स्थिति में रसोई का संचालन नहीं कर पाने की स्थिति में नगर निगम कोटा, उत्तर से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
15. आधारभूत मद से उपलब्ध कराये गये आधारभूत संसाधनो की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय करना होगा। अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनों को संबधित नगरीय निकाय को लौटाने होंगे।
16. कार्यकारी संस्था को योजना से संबंधित विवरण एवं लोगो डिस्प्ले बोर्ड पर या साईन बोर्ड के माध्यम से रसोई के बाहर एवं अन्दर प्रदर्शित करना होगा।

16. **मॉनिटरिंग व्यवस्था :–** योजना के दिशा–निर्देशानुसार मॉनिटरिंग की जावेगी।
17. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में होने पर जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
18. आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा–निर्देश – आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरकर इसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर संबधित जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय में जमा कराना होगा।
    1. आवेदन पत्र हस्ताक्षर सहित
    2. प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर, के नाम तथा प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट MDRISL JAIPUR के नाम देय होगा तथा EOI की प्रति (प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की मोहर)
    3. संस्था के पंजीयन के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
    4. पेनकार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रतिलिपि
    5. अनुभव संबंधी दस्तावेज, यदि उपलब्ध हो तो।

परिशिष्ठ–अ

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना
आवेदन पत्र
(प्रत्येक रसोई हेतु अलग–अलग आवेदन करें)

क्र0स0	विषय वस्तु	
1	नगरीय निकाय का नाम जिसकी रसोई हेतु आवेदन किया जा रहा है।	
2	रसोई का कार्यक्षैत्र एवं रसोई क्रमांक	
3	आवेदक संस्था का नाम	
4	आवदेक संस्था का प्रकार	
5	संस्था प्रधान का नाम	
6	संस्था के कार्यालय का सम्पूर्ण पता मय पिनकोड	
7	संस्था का सम्पर्क सूत्र	टेलीफोन नं0.....मो0न0.....
8	संस्था का ई–मेल	

क्र0स0	विषय वस्तु	विवरण	संलग्न दस्तावेज	प्रस्ताव का पृष्ठ संख्या
9	संस्था का पंजीयन व संबन्धित दस्तावेज			
10	संस्था का पेन नं0 व संबन्धित दस्तावेज			
11	संस्था का जीएसटी व संबन्धित दस्तावेज			
12	संस्था के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक की प्रति संलग्न करें)			
13	प्रतिभूति राशि का विवरण व दस्तावेज			
14	संस्था के संबन्धित कार्यक्षैत्र में अनुभव का विवरण व संबन्धित दस्तावेज			
15	यदि संस्था को किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार की संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है अथवा नहीं (केवल हॉ/नहीं अंकित करें)			
16	संस्था रसोई का संचालन जिस भवन में करेगी उसका विवरण	केवल एक का ही चयन कर निर्धारित स्थान पर विवरण भरें:– • संस्था का स्वयं का भवन • संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन • राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन		
	संस्था का स्वयं का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
	संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन			
17	वित्तिय प्रस्ताव – यदि राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान लेना चाह रहे है अथवा नहीं (केवल हॉ/नहीं अंकित करें)			
18	EOI के समस्त पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की सील (संलग्न कर पृष्ठ क्रमांक अंकित करे)			

उपरोक्त वर्णित समस्त सूचना मेरे द्वारा पूर्ण सत्यता से भरी गई है। यदि भविष्य में उपरोक्त में से कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मैं उसका पूर्ण जिम्मेदार रहुंगा।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय सील

परिशिष्ठ – ब

श्री अन्नपूर्णा रसोईयों का विवरण				
क्र0सं0	जिला	श्री अन्नपूर्णा रसोई का स्थान व नम्बर	रसोई की संख्या	निकाय का नाम जहां आवेदन प्रस्तुत करना है।
1	कोटा	सोगरिया पूर्व ग्राम पंचायत भवन (1225)	1	नगर निगम कोटा उत्तर
2		फायर स्टेशन सब्जीमण्डी (1226)	1	
3		मस्जिद वाली गली रंगपुर पुलिया के नीचे (1227)	1	
4		नान्ता पत्थर मंडी (1228)	1	
कुल			04	

प्रारूप
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना
अनुबंध (Agreement) संख्या ...../2024

आज दिनांक ..... को प्रथम पक्ष आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,

नगर निगम कोटा उत्तर ..... एवं द्वितीय पक्ष ..... (संचालक संस्था का नाम व पता) के मध्य यह अनुबंध (Agreement) निष्पादित हुआ है।

यह अनुबंध श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत नगर निगम कोटा उत्तर .... (क्षेत्र का नाम) में स्थापित रसोई .....(रसोई का स्थान मय पता) के संचालन सम्बन्धी गतिविधियों के लिए संचालक संस्था के रूप में ..... (फर्म का नाम) द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्पादित किया गया है। इस सम्बंध में दोनो पक्ष सहमत है कि –

1. कार्य :–
    1. संचालक संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन, EOI, कार्यादेश व इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप संचालक संस्था के रूप में सेवाएं प्रदान करेगी।
    2. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर नाम व मोबाईल न० अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। संचालक संस्था द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नही लिया जायेगा।
2. समयावधि :–
    1. कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष हेतु अनुबन्ध प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
    2. अनुबन्ध अवधि के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही गाईडलाईन एवं EoI में वर्णित दिशा–निर्देशो/शर्तों के अनुसार की जावेगी।
    3. संस्था की परफोरमेन्स व कार्यव्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच, सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, ऐसी संस्थाओं को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।
3. भुगतान :–
    I. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रू0 प्रति थाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8 रू० प्रति थाली लिए जायेगें।
    II. संचालक संस्था को कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार वितरित किये गयें दोपहर एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रति थाली की दर से अनुदान राशि दी जायेगी।
    III. संचालक संस्था को अनुदान एवं नियमानुसार देय जीएसटी राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जायेगा। भुगतान प्रक्रिया योजना की दिशा–निर्देशो के अनुसार किया जाएगा।
    IV. संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलों को संबंधित नगरीय निकायों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसके प्रमाणीकरण का आधार स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित इकाईया होगी।

4. **सब कॉन्ट्रेक्ट व पार्टनरशिप** :– संचालक संस्था को आवंटित कार्य या उसका कोई भी हिस्सा किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा किसी अन्य संस्था को Sub contract and Partnership पर नही दिया जायेगा।
5. **अनुबंध के लिए विधि** :– यह अनुबंध भारत तथा राजस्थान राज्य की विधि (Law) के तहत कियान्वित किया जायेगा। सभी विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
6. **क्षति पूर्ति** :– आधारभूत मद से उपलब्ध करायी गये आधारभूत संसाधनों की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय कर उपलब्ध कराना होगा। संचालक संस्था द्वारा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनों को संबंधित नगरीय निकाय को लौटाने होंगे।
7. **वाद विवाद** :– अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद होने की स्थिति में संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा जारी EOI तथा योजना के राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति द्वारा निपटारा किया जाएगा।
8. **अनुबन्ध का भाग** :– संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश, विभाग के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा योजना की जारी की गई गाईडलाईन (यथा संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी EOI अनुबन्ध के भाग होगें।

नगर निकाय की ओर से हस्ताक्षर	संचालक संस्था की ओर से हस्ताक्षर
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पदनाम	पदनाम .....
गवाह	गवाह
1.	1. .....
2.	2. .....